

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर


क्रमांक: एफ 1(2)(85)/स्था/मअवि/2015/85-214

जयपुर, दिनांक 26/04/2018

संशोधित आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक 84959 दिनांक 24.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए "कार्मिको के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया जाना प्रस्तावित है" के स्थान पर "कार्मिको के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया जाता है" पढा जावे।

क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री मुकेश गुप्ता, वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध किया जाता है, पढा जावे।



(रेणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ 1(2)(85)/स्था/मअवि/2015/85-215-222
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक 26/04/2018

27.04.18

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, मबावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
4. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।
5. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता,.....।
6. समस्त अधिकारीगण, महिला अधिकारिता।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
8. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता